लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3246

13 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र का विकास

3246. श्री हेमन्त पाटिलः
प्रो॰ रीता बहुगुणा जोशीः
श्रीमती चिंता अनुराधाः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
डॉ. सुजय विखे पाटीलः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय कपड़ा उद्योगों हेतु बुनियादी ढांचा विकसित करने, उन्हें मजबूत करने, आधुनिक बनाने और विश्व स्तर पर भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कोई योजना/कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम रोजगार प्राप्त करने, विदेशी मुद्रा अर्जित करने और इस व्यापार में लगे लोगों की बेहतरी की दृष्टि से लाभप्रद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु सामान्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि विश्व मानचित्र पर कपड़ा क्षेत्र एक अतुल्य भरोसेमंद ब्रांड बन सके?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग) देश में वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो महत्वपूर्ण उपाय आरंभकिए हैं जो दिनांक 01.02.2020 को लोक सभा में बजट घोषणा का भाग थे। ये हैं:

- 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना। तकनीकी वस्त्र वे वस्त्र हैं जिनका उपयोग सौंदर्य एवं आराम की अपेक्षा उनके कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है। तकनीकी वस्त्रों के एक बड़ी वेरायटी है जिनमें से कुछ का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई, चिकित्सा अनुप्रयोगों, मृदा एवं जल संरक्षण,

सड़क एवं राजमार्ग, रेलवे, एयरपोर्ट, समुद्र तटों, रक्षा, सेना, अर्धसैनिक बलों में कार्मिकों की सुरक्षा, पेट्रो रसायन/रसायन उद्योगों, फायरमेन की सुरक्षा इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को विश्व के मानचित्र पर तकनीकी वस्त्र उत्पादों के मुख्य उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक के रूप में स्थापित करना है और इस प्रकार इसकी अर्थव्यवस्था एवं प्रौद्योगिकी क्षमता का संवर्धन करना है।

- विशुद्ध टैरिफथैलिक एसिड जोकि मानव निर्मित वस्त्र फाइबर एवं यार्न के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है पर पाटनरोधी शुल्क हटाना। वस्त्र क्षेत्र जोकि एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजक है, में अत्यधिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए इसकी सरल उपलब्धता एवं प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण वांछित है।

इसके अलावा सरकार वस्त्र उद्योग के विकास में सहायता करने के लिए कई नीतिगत पहलें एवं योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी समुन्नयन, अवसंरचना निर्माण, कौशल विकास तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने वाली यह योजनाएं तथा पहलें देश में वस्त्र निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तथा समर्थकारी स्थितियां तैयार करती है तथा रोजगार सृजन में बढ़ावा देने तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायता करती है।

देश में वस्त्र उद्योग के विकास एवं आधुनिकीकरण में सहायता करने के लिए सरकार निम्नलिखित कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

i) संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस):

ए-टीयूएफएस पात्र मशीनरी के लिए एकबारगी पूंजी सब्सिडी के साथ वस्त्र उद्योग के प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए कार्यान्वित की जा रही है। गारमेंट और तकनीकी वस्त्र जैसे सेगमेंट, जहां रोजगार और निर्यात की संभावना अधिक है, 30 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 15% की दर पर पूंजी सब्सिडी के पात्र हैं| बिल्कुल नए शटलरहित करघे (विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग सहित) के लिए वीविंग, प्रोसेसिंग, पटसन, रेशम और हथकरघा जैसे सेगमेंट 20 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन 10% की दर पर सब्सिडी प्राप्त करेंगे। एटीयूएफएस के अंतर्गत मामलों के लिए 5151 करोड़ रुपए तथा टीयूएफएस के पिछले संस्करण के लिए 12671 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए 2015-16 से 2021-22 तक सात वर्षों के लिए 17822

करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अनुमोदित किया गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान एटीयूएफएस के तहत आवंटित राशि का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**बजट अनुमान (करोड़ रुपए में)**	**संशोधित अनुमान (करोड़ रुपए में)**
2014-15	2300.00	1946.02
2015-16	1520.79	1434.78
2016-17	1480.00	2621.98
2017-18	2013.00	1913.15
2018-19	2300	622.63

ii) **विद्युतकरघा क्षेत्र विकास के लिए योजना (पावरटेक्स):** विद्युतकरघा और निटिंग एवं निटवियर क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक योजना अखिल भारतीय आधार पर क्रमश: 01.04.2017 से 31.03.2020 तथा 01.07.2019 से 31.03.2020 तक लागू की गई थी। इस योजना के तहत स्वस्थाने उन्नयन, सामूहिक वर्क शैड योजना, यार्न बैंक योजना, सामान्य सुविधा योजना, सौर ऊर्जा योजना, प्रधानमंत्री ऋण योजना, विद्युतकरघा सेवा केंद्रों का आधुनिकीकरण/समन्वयन एवं सहायता अनुदान, टेक्स फंड वेंचर कैपिटल फंड एण्ड फैसिलिटेशन, आईटी, जागरूकता, विद्युतकरघा योजना के लिए बाजार विकास एवं प्रचार जैसे घटकों के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान आवंटित एवं उपयोग की राशि इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	**आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)**	**उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
2014-15	54.13	50.83
2015-16	102.58	100.17
2016-17	108.57	108.57
2017-18	115.34	107.94
2018-19	71.33	65.70

iii) **एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी):** इस योजना में परियोजना लागत के 40% तक भारत सरकार के अनुदान और प्रत्येक वस्त्र पार्क के लिए 40.00 करोड़ रुपए की सीमा के साथ अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में प्रथम दो वर्षों (प्रत्येक) के लिए परियोजना लागत का 90% तक भारत सरकार के अनुदान के साथ वस्त्र इकाईयों की स्थापना करने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। पूरे वर्ष में पूर्ण की गई 22 वस्त्र पार्कों में पिछले 3 वर्षों के दौरान 82,112 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। पिछले 5 वर्षों के दौरान एसआईटीपी के तहत आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (स.प्रा.) करोड़ रुपए में
2015-16	26.32
2016-17	51.00
2017-18	40.00
2018-19	27.15
2019-20	40.00

iv) **एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस):** वस्त्र उद्योग को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रसंस्करण मानकों एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने आईपीडीएस शुरू की है ताकि निजी क्षेत्रों को देश के वस्त्र कलस्टर में विश्वस्तरीय, पर्यावरण अनुकूल वस्त्र प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। भारत सरकार आईपीडीएस के संबंध में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सहित मरीन एवं रिवरिंग सहित जलशोधन, सामान्य अवशिष्ट शोधन संयंत्र एवं प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है जो प्रति परियोजना 75 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 50% तक सीमित है। पिछले 5 वर्षों के दौरान आईपीडीएस में आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (स.प्रा.) करोड़ रुपए में
2015-16	28.89
2016-17	28.00
2017-18	5.00
2018-19	3.05
2019-20	10.80

v) **सिल्क समग्र:** भारत सरकार देश में रेशम उत्पादन के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना सिल्क समग्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी अंतरण तथा आईटी पहल, बीज संगठनों को सहायता, समन्वयन तथा बाजार विकास और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (क्यूसीएस)/निर्यात बोर्ड, संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी समुन्यन जैसे घटक हैं। रेशम को ऊन, क्वायर और कपास जैसे अन्य फाइबर के साथ मिश्रित करके नए उत्पाद तैयार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग है।

उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन से लोगों को रेशम उत्पादन तथा रेशम से संबंधित कार्यकलापों को अपनाने तथा स्वरोजगार अवसर प्राप्त करने में लाभ हुआ है। अनुमान है कि रेशम उत्पादन देश में ग्रामीण एवं उपशहरी क्षेत्रों में लगभग 91.78 लाख व्यक्तियों (मार्च, 2019 के अनुसार) रोजगार प्रदान करता है। रेशम कीट पालन मुख्य रूप से देश के ग्रामीण इलाकों में किया जाता है जो समाज के कमजोर वर्गों को आजीविका प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान रेशम निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा 2031.89 करोड़

रुपए है। वर्ष 2014-19 के दौरान सिल्क समग्र के तहत आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (करोड़ रुपए में)
2014-15	297.58
2015-16	178.10
2016-17	154.01
2017-18	161.50
2018-19	120.00

vi) **पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन योजना (एनईआरटीपीएस):** यह योजना वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को अवसंरचना, क्षमता निर्माण तथा विपणन सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 2014-19 के दौरान एनईआरटीपीएस के तहत आवंटित राशि इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (करोड़ रुपए में)
2014-15	43.44
2015-16	150.82
2016-17	189.65
2017-18	217.72
2018-19	39.75

vii) **हथकरघा क्षेत्र**: सरकार पूरे देश में अवसंरचना विकास, इस क्षेत्र के सशक्तिकरण, करघों एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण तथा विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2) व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपर्युक्त योजनाओं के तहत कच्ची सामग्री, करघों और उपकरणों की खरीद, डिजाइन नवाचार, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल समुन्यन, लाइटिंग यूनिटों, घरेलू एवं विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन तथा रियायती दरों पर ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हथ्करघा क्षेत्र में रोजगार का सृजन हथकरघा संवर्धन सहायता जैसी कई सरकारी योजनाओं के तहत सुविधा प्रदान करके किया जाता है जिसमें बुनकरों को करघे एवं उपकरण तथा रियायती दर पर मुद्रा ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही हथकरघा कर्मचारियों को उनके कौशल उन्ययन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। विगत 5 वर्षों

तथा वर्तमान वर्ष के दौरान 55625 हथकरघा कामगारों को कौशल समुन्यन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, एचएसएस के तहत 44571 करघे/उपकरण प्रदान किए गए हैं तथा मुद्रा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को 253567 ऋण स्वीकृत किए गए हैं तथा 827.40 करोड़ रुपए की ऋण की राशि का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता संघटक में पात्र हथकरघा संगठनों एवं उनके सदस्यों को विदेशी बाजारों में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह संघटक हथकरघा एजेंसियों को मंच प्रदान करता है ताकि वे बिचौलियों के बिना सीधे विदेशी क्रेताओं को अपने उत्पाद बेच सकें तथा बेहतर आय अर्जित कर सकें। पिछले 5 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित राशि का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

viii) **वस्त्र विनिर्माण में उद्भवन के लिए योजना (एसआईएएम),** जो जनवरी, 2014 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी! यह योजना मांग आधारित है। इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों को प्लग एण्ड प्ले सुविधा सहित एकीकृत कार्यस्थल एवं लिंकेज आधारित उद्यमियता पारिस्थितिकी, जो नए व्यापार की स्थापना तथा विकास के लिए प्रचालनात्मक एवं वित्तीय लागत में कमी करने में उनकी सहायता करता है, प्रदान करके उन्हें अपैरल विनिर्माण में प्रोत्साहित करना है। इस योजना में अपैरल विनिर्माण में उद्मियता प्रोत्साहन, अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता विकास तथा अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करने की परिकल्पना है। पिछले 5 वर्षों के दौरान एसआईएएम के तहत आवंटित राशि इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	**आवंटित राशि(सं.प्रा.) करोड़ रुपए में**
2015-16	0.62
2016-17	4.00
2017-18	4.00
2018-19	1.00
2019-20	6.20

ix) **<u>वस्त्र उद्योग के कामगारों के लिए हॉस्टल योजना (एसटीआईडब्ल्यूए)</u>:** वस्त्र पार्कों में कामगार हॉस्टल स्थापित करने के लिए 2014 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी जिनमें से एक तमिलनाडु राज्य में तथा एक गुजरात में है। इन दोनों परियोजनाओं को वर्तमान योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण कर लिया गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान एसटीआईडब्ल्यूए के तहत आवंटित राशि का विवरण इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	**आवंटित राशि (स.प्रा.) करोड़ रुपए में**
2015-16	0.30
2016-17	3.00
2017-18	1.00
2018-19	0.76
2019-20	1.00

x) सरकार ने विशेष रूप से गारमेंटिंग एवं मेड-अप में रोजगार सृजन एवं निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से वस्त्र क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज भी घोषित किया था।

(घ) वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सामान्य सेवाएं एवं अवसंरचना प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

- **<u>विद्युतकरघा सेवा केंद्र:</u>** देश में कई विद्युतकरघा कलस्टरों में 47 विद्युतकरघा सेवा केंद्र कार्यरत हैं जो विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र को परीक्षण, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, परामर्शदायिता एवं समस्या निवारण और जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियां एवं कार्यशालाएं आयोजित करने से संबंधित सेवाएं तथा अन्य आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **<u>सामान्य सुविधा केंद्र:</u>** पावरटेक्स इंडिया के तहत इस संघटक में डिजाइन केंद्र/ स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्र, सूचना एवं व्यापार केंद्र और सामान्य कच्ची सामग्री/यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक प्रयोग के लिए जलशोधन संयंत्र, डोरमेट्री, कर्मचारी निवास स्थान, डाइंग, वारपिंग एवं साइजिंग तथा टविस्टिंग इत्यादि जैसी सामान्य बुनाई पूर्ण सुविधाओं तथा प्रसंस्करण इत्यादि जैसी बुनाई पश्च सुविधाओं जैसे सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
    - बुनाई पूर्व एवं बुनाई पश्च, डिजाइन स्टूडियो, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केंद्र, सूचना एवं व्यापार केंद्र और सामान्य कच्ची सामग्री/यार्न/बिक्री डिपो, औद्योगिक प्रयोग के लिए जलशोधन संयंत्र, डोरमेट्री, कर्मचारी निवास स्थान इत्यादि।

    भारत सरकार द्वारा मशीनरी के लिए अधिकतम 2 करोड़ रुपए तथा भवन के लिए 0.40 करोड़ रुपए की सब्सिडी।
- **<u>व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना:</u>** भारत सरकार मौजूदा विद्युतकरघा कलस्टरों की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने और उत्पादन एवं निर्यातों में वृद्धि करने के लिए अंतर को पूरा करके एकीकृत उत्पादन श्रृंखला के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना स्थापित करने के लिए विद्युतकरघा मेगाकलस्टर की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा व्यापक विद्युतकरघा कलस्टर विकास योजना के तहत बेहतर जीवनयापन स्थितियां प्रदान करती है।

  सरकार/निजी क्षेत्र के बीच 60:40 के अनुपात में उद्योग द्वारा एकसमान निवेश की आशा के अनुरूप सरकारी अनुदान/इक्विटी प्रदान की जाएगी। भारत सरकार की सहायता 50 करोड़ रुपए तक सीमित होगी।

- **'भारत हथकरघा ब्रांड'** 07 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने के दौरान मा. प्रधानमंत्री ने उच्च गुणवत्ता के हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए भारत हथकरघा ब्रांड शुरू किया था। यह पर्यावरण पर शून्य क्षति एवं शून्य प्रभाव सहित उच्च गुणवत्ता, प्रमाणित परंपरागत डिजाइनों वाले हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसकी शुरूआत से 184 उत्पाद श्रेणियों के तहत 1333 पंजीकरण किए जा चुके हैं तथा 861.93 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है। अपने ब्रांड में हथकरघा गारमेंट की पृथक रेंज शुरू करने के लिए कई अग्रणी ब्रांडों के साथ पहल की गई है।

रेशम क्षेत्र के लिए

- देश में आयात प्रतिस्थापन बाइवोल्टाइन रेशम के उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास को उत्पादक बाइवोल्टाइन हाइब्रिड तथा उत्पादन प्रक्रिया पैकेज के विकास पर केंद्रित किया गया है।
- बाइवोल्टाइन कोकून से 3ए-4ए ग्रेड के कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए देश में स्वचालित रिलींग मशीनें (एआरएम) इकाईयां स्थापित की गई हैं।
- कच्चे रेशम तथा रेशम फैब्रिक के आयात पर 10% एवं 20% की आधारभूत सीमा शुल्क प्रभारित की जाती है। इससे घरेलू रेशम बुनाई बाजार और सशक्त होता है तथा भारतीय रेशम निर्यात क्षेत्र भी अधिक प्रतिस्पर्धी होता है।
- निर्यात व्यापार में वान्या रेशम उत्पाद को लोकप्रिय बनाकर तथा रेशम मिश्र पर ध्यान केंद्रित करके उत्पाद विकास एवं विविधीकरण पर जोर दिया जाता है।
- राज्यों को सामान्य सेवाएं एवं अवसंरचना प्रदान करने के हेतु सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई

*****

दिनांक 13.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3246 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

पिछले 5 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में आवंटित राशि का योजना-वार विवरण							
क्र.सं.	**योजना का नाम**	**2014-15 (करोड़ रुपए में)**	**2015-16 (करोड़ रुपए में)**	**2016-17 (करोड़ रुपए में)**	**2017-18 (करोड़ रुपए में)**	**2018-19 (करोड़ रुपए में)**	**2019-20 (करोड़ रुपए में)**
		आवंटित राशि (स.प्रा.)	**आवंटित राशि (स.प्रा.)**	**आवंटित राशि (स.प्रा.)**	**आवंटित राशि (स.प्रा.)**	**आवंटित राशि (स.प्रा.)**	**आवंटित राशि ब.प्रा.**
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)	292.00	135.83	167.53	140.24	138.53	135.00
2	व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)	18.00	37.31	50.00	32.50	21.50	40.00
3	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)	57.50	18.91	26.56	25.00	10.05	20.00
4	यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)	130.00	321.96	261.50	200.00	155.41	195.00
	कुल	**497.50**	**514.01**	**505.59**	**397.74**	**325.49**	**390.00**

*****